



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2002/ज्येष्ठ 17, 1924

No. 265]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2002/JYAISTHA 17, 1924

विदेश मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2002

सा.का.नि. 417(अ).—9-7-2001 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 (i) के पृष्ठ 10 पर प्रकाशित सा. का. नि. 576 (अ) और 4-12-2001 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 (i) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित सा. का. नि. 879 (अ) पैरा (iii) 5, पैरा (iv) 6 (ii) और क्रम सं. 23 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :—

(i) पैरा (iii) में क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, नामतः :—

“5(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)	तमिलनाडु राज्य के चेन्नई, चिंगलपुट (इ), कांचीपुरम, वेल््लोर, तिरुवनमलाई, इरोड, क्वार्यंबटोर (शहरी) क्वार्यंबटोर (ग्रामीण), सलेम (शहरी), सलेम (ग्रामीण) नमक्कल, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, धर्मपुरी, नीलगिरी, कराइकल, तिरुवेल्लूर और माहे तथा यमन जिलों को छोड़कर पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)	वही
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)	वही”;

(ii) पैरा (iv) में क्रम सं. 6 (ii) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं नामतः :—

“6 (ii) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड)	केरल राज्य के पलक्कड़, मल्लापूरम, वयान्द, कोजीकोड, कन्नौर, कासरगोड जिले तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी का माहे जिला।”
--	--

(iii) पैरा (vii) में क्रम सं. 9 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामतः—

“9 (क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, चारंगल, खम्माम, रंगा रेड्डी, हैदराबाद, कुरनूल, महबूबनगर, गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम, अनंतपुर, नेल्लोर, मालगोंडा, कुडप्पा, चित्तूर, सिकन्दराबाद और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में यमन जिला।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	वही
(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	वही”

[फ़. सं. V. IV/551/20/2000]

एस.आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) और सी.पी.ओ.

टिप्पणी :—मूल नियम सं. सा. का. नि. 691 (अ) दिनांक 11-12-1980 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये और उसके पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधन किये गये :—

- (i) सा. का. नि. 50 (अ) दिनांक 7-2-1981
- (ii) सा. का. नि. 494 (अ) दिनांक 10-6-1981
- (iii) सा. का. नि. 469 (अ) दिनांक 24-6-1982
- (iv) सा. का. नि. 325 (अ) दिनांक 12-4-1983
- (v) सा. का. नि. 482 (अ) दिनांक 13-6-1983
- (vi) सा. का. नि. 494 (अ) दिनांक 16-6-1983
- (vii) सा. का. नि. 345 (अ) दिनांक 29-3-1985
- (viii) सा. का. नि. 860 (अ) दिनांक 01-11-1985
- (ix) सा. का. नि. 857 (अ) दिनांक 13-10-1987
- (x) सा. का. नि. 1155 (अ) दिनांक 21-11-1988
- (xi) सा. का. नि. 84 (अ) दिनांक 11-2-1988
- (xii) सा. का. नि. 622 (अ) दिनांक 27-6-1990
- (xiii) सा. का. नि. 653 (अ) दिनांक 20-7-1990
- (xiv) सा. का. नि. 100 (अ) दिनांक 04-3-1991
- (xv) सा. का. नि. 275 (अ) दिनांक 20-3-1991
- (xvi) सा. का. नि. 586 (अ) दिनांक 21-6-1991
- (xvii) सा. का. नि. 111 (अ) दिनांक 22-1-1992
- (xviii) सा. का. नि. 684 (अ) दिनांक 15-6-1992
- (xix) सा. का. नि. 721 (अ) दिनांक 07-8-1992
- (xx) सा. का. नि. 477 (अ) दिनांक 24-6-1993
- (xxi) सा. का. नि. 485 (अ) दिनांक 01-7-1993
- (xxii) सा. का. नि. 503 (अ) दिनांक 10-7-1993
- (xxiii) सा. का. नि. 833 (अ) दिनांक 02-12-1994
- (xxiv) सा. का. नि. 592 (अ) दिनांक 07-8-1995
- (xxv) सा. का. नि. 491 (अ) दिनांक 28-8-1997

(xxvi)	सा. का. नि. 605 (अ) दिनांक 05-10-1998
(xxvii)	सा. का. नि. 516 (अ) दिनांक 08-7-1999
(xxviii)	सा. का. नि. 827 (अ) दिनांक 29-12-1999
(xxvix)	सा. का. नि. 34 (अ) दिनांक 12-01-2000
(xxx)	सा. का. नि. 473 (अ) दिनांक 22-5-2000
(xxxi)	सा. का. नि. 485 (अ) दिनांक 23-5-2000
(xxxii)	सा. का. नि. 529 (अ) दिनांक 08-6-2000
(xxxiii)	सा. का. नि. 584 (अ) दिनांक 04-7-2000
(xxxiv)	सा. का. नि. 632 (अ) दिनांक 25-7-2000
(xxxv)	सा. का. नि. 482 (अ) दिनांक 26-6-2001
(xxxvi)	सा. का. नि. 527 (अ) दिनांक 09-7-2001
(xxxvii)	सा. का. नि. 576 (अ) दिनांक 27-7-2001
(xxxviii)	सा. का. नि. 817 (अ) दिनांक 29-10-2001 और
(xxxix)	सा. का. नि. 879 (अ) दिनांक 05-12-2001

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th May, 2002

**G.S.R. 417 (E).**—In partial modification of GSR 576(E) published on page 10 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i) on 9-7-2001 and GSR 879 (E) published on page 2 of Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i) on 4-12-2001 Para (iii)5, para (iv), 6(ii) and S1. No. 23 may be substituted by the following :—

(i) In para (iii) for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"5 (a) Regional Passport Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	The districts of Chennai, Chingelput (E), Kanchipuram, Vellore Thiruvannmalai, Erode, Coimbatore, (Urban), Coimbatore (R), Salem (Urban), Salem (R), Namakkal, Cuddalore, Villupuram, Dharmapuri, Nilgiris, Karaikkal, Thiruvallur of the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry except districts of Mahe and Yanam.
(b) Assistant Passport Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto
(c) Public Relation Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto
(d) Superintendent, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto." ;
(ii) In para (iv) for serial number 6(ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—	
"6 (ii) Passport Officer (Passport Office, Kozhikode)	The districts of Palakkad Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannaur, Kasargod of the state of Kerala and the district of Mahe in the Union Territory of Pondicherry."

(iii) In para (vii) for Serial number 9 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

"9. (a) Passport Officer,  
(Passport Office, Hyderabad)

The districts of Adilabad, Nizamabad, Medak Karimnagar, Warangal, Khammam, Ranga Reddy, Hyderabad, Kurnool, Mahabubnagar, Guntur, Krishna, Parkasam, Ananthapur, Nellore, Nalagonda, Cuddapha, Chittoor, Secunderabad in the State of Andhra Pradesh and the district of Yanam in the Union Territory of Pondicherr.

(b) Assistant Passport Officer, Ditto  
(Passport Office, Hyderabad)

(c) Public Relation Officer, Ditto  
(Passport Office, Hyderabad)

(d) Superintendent, Ditto  
(Passport Office, Hyderabad)

[F.No. V.IV/551/20/2000]

S.R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV) & CPO

**Note:—** The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 691(E), dated, the 11th December, 1980, and subsequently amended vide :—

- (i) GSR 50(E), dated 7-2-1981;
- (ii) GSR 494(E) dated 10-06-1981;
- (iii) GSR 469(E), dated 24-6-1982;
- (iv) GSR 325(E), dated 12-4-1983;
- (v) GSR 482(E), dated 13-6-1983;
- (vi) GSR 494(E), dated 16-6-1983;
- (vii) GSR 345(E) dated 29-03-1985
- (viii) GSR 860(E), dated 01-11-1985;
- (ix) GSR 857(B), dated 13-10-1987;
- (x) GSR 1155(E) dated 21-11-1988
- (xi) GSR 84(E), dated 11-02-1988;
- (xii) GSR 622(E), dated 27-06-1990;
- (xiii) GSR 653(E), dated 20-07-1990;
- (xiv) GSR 100(E), dated 04-03-1991;
- (xv) GSR 275(E), dated 20-03-1991;
- (xvi) GSR 586(E), dated 21-06-1991;
- (xvii) GSR 111(E), dated 22-01-1992;
- (xviii) GSR 684(E), dated 15-06-1992;
- (xix) GSR 721(E), dated 07-08-1992;
- (xx) GSR 477(E), dated 24-06-1993;
- (xxi) GSR 485(E), dated 01-07-1993;
- (xxii) GSR 503(E), dated 10-07-1993;
- (xxiii) GSR 833(E) dated 02-12-1994
- (xxiv) GSR 592(E) dated 07-08-1995
- (xxv) GSR 491(E), dated 28-08-1997;
- (xxvi) GSR 605(E), dated 05-10-1998;
- (xxvii) GSR 516(E), dated 08-07-1999;
- (xxviii) GSR 827(E), dated 29-12-1999;
- (xxix) GSR 34(E), dated 12-01-2000;
- (xxx) GSR 473(E), dated 22-05-2000;
- (xxxi) GSR 485(E), dated 23-05-2000;
- (xxxii) GSR 529(E), dated 08-06-2000;
- (xxxiii) GSR 584(E), dated 04-07-2000;
- (xxxiv) GSR 632(E), dated 25-07-2000;
- (xxxv) GSR 482(E), dated 26-06-2001;
- (xxxvi) GSR 527(E) dated 09-07-2001;
- (xxxvii) GSR 576(E) dated 27-07-2001;
- (xxxviii) GSR 817(E) dated 29-10-2001 and
- (xxxix) GSR 879(E) dated 04-12-2001.